संख्या– 275/68–5–2020–810/2017 टी0सी0

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2020

विषयः– शैक्षिक सत्र 2020–21 में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को जूता–मोजा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक सामु0सह0/जूता मोजा/6000 हजार/2019–20 दिनांक 17.02.2020, पत्रांक शि0नि0बे0/जूता मोजा/7194 /2019–20 दिनांक 19.03.2020 एवं तत्क्रम में शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय पत्रांक शि0नि0बे0/ जूता मोजा/ 486–87/2020–21 दिनांक 13.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को जूता–मोजा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता–मोजा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती हैः–

(1) शैक्षिक सत्र 2020–21 में जूता–मोजा की **विशिष्टियाँ गतवर्ष की भाँति** ही रखी जायेगीं। **सम्पूर्ण प्रकिया महानिदेशक स्कूल शिक्षा, के पर्यवेक्षण में सम्पादित की जायेगी।**

(2) निःशुल्क जूता एवं मोजा के **राज्य स्तर पर क्रय की कार्यवाही** गत वर्षों की भाँति ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाए तथा चयनित निविदादाताओं से निःशुल्क जूता एवं मोजा की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध करते हुए आपूर्तिकर्ताओं को जनपद आवंटित कर विद्यालयों में नामांकन के अनुसार क्रयादेश जारी करने, डिलीवरी प्वाइंट्स पर प्राप्ति एवं सत्यापन, टेस्टिंग, वितरण एवं भुगतान गत वर्षों में जारी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाय।

(3) निःशुल्क जूता एवं मोजा की क्रय प्रक्रिया एवं आपूर्तिकर्ताओं हेतु फर्म/कम्पनी का **मैन्यूफैक्चरर/OEMS होना अनिवार्य है।**

(4) शैक्षिक सत्र 2020–21 में निःशुल्क जूता एवं मोजा की क्रय प्रकिया में कम्पनियों के कन्सोर्सियम की अनुमति नहीं होगी।

(5) वर्ष 2020–21 में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं मोजा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में टेण्डर डाक्यूमेन्ट (RFP) के प्रावधानों, नियमों व निर्देशों के अन्तर्गत निविदा में सफल **एल–1** निविदादाता को अधिकतम

आपूर्ति करने का अधिकार गतवर्ष के 60 प्रतिशत के स्थान पर वर्तमान क्रय प्रक्रिया में 40 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

(6) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा **वारंटी** के प्राविधानों का अनुपालन करने में विफल रहने पर गत वर्ष के 5 प्रतिशत के स्थान पर वर्तमान क्रय प्रक्रिया में 10 प्रतिशत कटौती का प्राविधान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(7) शैक्षिक सत्र—2020—21 के लिये वार्षिक टर्नओवर की धनराशि गतवर्ष के रू. 100 करोड़ के स्थान पर न्यूनतम धनराशि वर्तमान क्रय प्रक्रिया में रूपये 70 करोड़ निर्धारित की जाती है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
17/4/20
( रेणुका कुमार )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उ0प्र0 लखनऊ।

2— शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।

3— सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।

4— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
( उमेश कुमार तिवारी ) 17·4·2020
उप सचिव।